भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1069
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पहल

1069 श्री के. आर. सुरेश रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका को अनुचित हमलों से बचाने के लिए कोई पहल की है ताकि जनता की नजरों में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा में कोई कमी न आए और न्यायाधीशों को बिना किसी डर, पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के मामलों का फैसला करने के अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : न्यायपालिका भारतीय संविधान के अधीन एक स्वतंत्र अंग है, जो अपने सभी मामलों का निपटान करने में पूर्ण रुप से सशक्त और समर्थ है। सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण से रुप से प्रतिबद्ध है और न्यायाधीशों को उनके न्यायिक कर्तव्यों का निर्बाध रुप से निर्वहन करने के लिए एक सहायक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर रुप से प्रयासरत है ।

****